संयुक्त राष्ट्र

ईएससीएपी/एपीडीडीपी/2022/3/एडी
डी.1

आर्थिक और सामाजिक परिषद

वितरण: सामान्य
7 नवम्बर
2022

मूलः अंग्रेजी

एशिया और प्रशांत हेतु आर्थिक और सामाजिक आयोग

दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक 2013-2022 की अंतिम समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतर सरकारी बैठक,

जकार्ता और ऑनलाइन, 19–21 अक्टूबर 2022

दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक 2023–2032 पर जकार्ता घोषणा

1. हम, मंत्रिगण तथा एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्यगण और सहयोगी सदस्यगण के प्रतिनिधिगण, 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक जकार्ता और ऑनलाइन में भी आयोजित दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक 2013-2022 की अंतिम समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतर शासकीय बैठक में एकत्रित हुए हैं, हमने वर्तमान घोषणा को अंगीकृत किया है।

2. हम दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन[1] को मानवाधिकार और विकास साधन दोनों के रूप में अंगीकृत करते हैं ।

3. हम 25 सितंबर 2015 के महासभा के संकल्प 70/1 को स्मरण करते हैं, जिसमें महासभा ने सतत् विकास लक्ष्यों सहित सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा को अंगीकार किया है जिसमें दिव्यांगजनों को शामिल किया गया है और जिसमें सदस्य राज्यों ने वचन दिया था कि कोई भी पीछे नहीं रहेगा और स्वीकार किया कि सदस्य राज्य 2030 एजेंडा को लागू करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान, रक्षा और प्रचार करना चाहिए।

4. हम वृद्धावस्था (एजिंग) पर दूसरी विश्व सभा के अनुवर्ती कार्रवाई पर 16 दिसंबर 2021 के महासभा संकल्प 76/138 पर ध्यान देते हैं, जिसमें सभा ने अंगीकार किया था कि दिव्यांगता की व्यापकता उम्र के साथ बढ़ती है और कई वृद्ध व्यक्ति किसी न किसी दिव्यांगता के साथ जीते हैं, और सदस्य राज्यों से वृद्ध व्यक्तियों के बीच गरीबी को दूर करने की क्षमता का निर्माण करने और वृद्ध व्यक्तियों, विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं और दिव्यांग वृद्ध व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक कल्याण सेवाएं प्रदान करने, उम्र बढ़ने पर सभी नीतिगत कार्यों में लिंग और दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य को मजबूत करने और शामिल करने, आयु, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव संबंधित समस्याओं का समाधान करने और उन्हें दूर करने, इसके साथ ही, नीति तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए आयु, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर अलग-अलग डेटा एकत्र करने और उपयोग करने का आह्वान करते हैं।

[1] संयुक्त राष्ट्र, संधि श्रृंखला, खंड 2515, सं. 44910.

बी22-01105 (ई) टीपी151122

Please recycle

5. दिव्यांगजनों पर आपदाओं के असंगत प्रभावों की मान्यता में, हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030, [2] का स्मरण करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में समावेशी, सुगम्य और गैर-भेदभावपूर्ण भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया था।

6. हम 1 मई 2013 के आयोग के संकल्प 69/13 का स्मरण करते हैं, जिसके द्वारा आयोग ने दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक, 2013-2022 पर मंत्रिस्तरीय घोषणा तथा एशिया और प्रशांत में दिव्यांगजनों के लिए "मेक द राइट रियल" अर्थात् 'अधिकार को वास्तविक बनाने' के लिए इंचियोन कार्यनीति, [3] को समर्थित किया गया था और 16 मई 2018 के आयोग के संकल्प 74/7 का स्मरण करते हैं, जिसके द्वारा इंचियोन कार्यनीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कार्य योजना सहित आयोग ने बीजिंग घोषणा की पुष्टि की गई थी।[4]

7. हम दिनांक 29 अप्रैल 2021 के आयोग के संकल्प 77/1 और दिनांक 27 मई 2022 के आयोग के संकल्प 78/1 की पुन: पुष्टि करते हैं, ताकि आगे और बेहतर कार्य किया जा सके और 2030 एजेंडा के अनुरूप समान, टिकाऊ और समावेशी वसूली कार्यनीतियों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया जा सके।

8. हम उप-क्षेत्रीय रूपरेखाओं पर ध्यान देते हैं जिसे दिव्यांगजनों के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने में राष्ट्रीय और उप-क्षेत्रीय पहलों में सहायता के लिए सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के लिए अंगीकार किया गया था, अर्थात् पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़[5] और एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स (एएसईएएन) एनेबलिंग मास्टरप्लान 2025: मेनस्ट्रीमिंग द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़,[6] और क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर सहयोग करने के महत्व को स्वीकार करता था।

9. हम इंचियोन कार्यनीति और बीजिंग घोषणा को लागू करने में आयोग के सदस्यों और सहयोगी सदस्यों द्वारा की गई प्रगति स्वीकार करते हैं, जिसमें इंचियोन कार्यनीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कार्य योजना, और सिविल सोसाइटी विशेष रूप से दिव्यांगजनों के और उनके लिए स्थापित संगठनों के लिए योगदान शामिल है, जिसमें कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) महामारी के प्रतिक्रिया के साथ-साथ रोगनिवृत्ति एवं पुनर्निर्माण शामिल है और दिव्यांगता-समावेशी व्यवसायों एवं आदर्श श्रृंखलाओं को चलाने का कार्य कर रही निजी क्षेत्र की संस्थाओं की प्रतिबद्धताओं और प्रयासों को स्वीकार करते हैं।

10. हम इस बात पर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी के अनुपात में तेजी से आयु बढ़ने का अनुभव कर रहा है, जो वर्ष 2022 में 14.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2050 में 25.9 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।

---

[2] महासभा का संकल्प 69/283, अनुबंध II.

3 आयोग का संकल्प 69/13, अनुबंध I and II.

[4] ईएससीएपी/74/22/एडीडी.1.

[5] 8 से 10 सितंबर 2016 तक पोह्नपेई, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया में आयोजित सैंतालीसवें प्रशांत द्वीप फोरम में समर्थन किया गया

[6] 13 से 15 नवंबर 2018 तक सिंगापुर में आयोजित तैंतीसवें एएसईएएन शिखर सम्मेलन में अपनाया गया

[7] संयुक्त राष्ट्र, विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022: विशेष समुच्चय, ऑनलाइन संस्करण।

11. हम इस बात से चिंतित हैं कि कई मामलों में, प्रगति होने के बावजूद, दिव्यांगजनों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, युवाओं, स्वदेशी लोगों, वृद्ध व्यक्तियों, बौद्धिक और मनोसामाजिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों और अन्य कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों को जीवन के सभी आयामों के साथ-साथ शारीरिक, सूचना और व्यवहार संबंधी बाधाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, और दिव्यांगजन कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और अन्य संकटों से बढ़ रही असमानताओं के कारण असमान रूप से प्रभावित होते हैं।

12. हम इस बात से भी चिंतित हैं कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दिव्यांगजनों की स्थिति पर विश्वसनीय सांख्यिकी, आंकड़े और सूचना की निरंतर कमी से आधिकारिक आंकड़ों, नीतियों और कार्यक्रमों में उनका अपवर्जन (एक्सक्लूशन) होता है, और इस संबंध में हम 2030 एजेंडा में दिव्यांगता के अनुसार आंकड़ों के विघटन के आह्वान को स्वीकार करते हैं, जो सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए उच्च-गुणवत्ता, सुगम्य, समय पर प्राप्त और विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता की पहचान करता है।

13. पहुंच में सुधार और समाज के सभी पहलुओं में दिव्यांगजनों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के संदर्भ में, हम कोविड-19 महामारी से सतत् रोगनिवृत्ति में सहायता के लिए, किसी को भी पीछे न छोड़ते हुए और सभी लोगों को ऐसी परिस्थिति का सामना करने हेतु क्षमता के निर्माण पर जोर देने के लिए सरकारों द्वारा किए गए कार्यों और प्रतिबद्ध संसाधनों को अंगीकार करते हैं तथा हम तकनीकी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन की मजबूत क्षमता को भी स्वीकार करते हैं।

14. हम आयोग के सदस्यों और सहयोगी सदस्यों एवं सभी हितधारकों को कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और अन्य जोखिमों से बढ़ती चुनौतियों के बीच एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगता-समावेशी विकास में लाभ और उपलब्धियों की रक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसने जनसंख्या समूहों और देशों के भीतर तथा देशभर में असमानताओं को बढ़ा दिया है, और दिव्यांगता-समावेशी विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन, नवाचारों और सहयोग का आह्वान करता है।

15. हम इंचियोन कार्यनीति और बीजिंग घोषणा की निरंतर प्रासंगिकता और महत्व की पुष्टि पुन: करते हैं, जिसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों को आगे बढ़ाने तथा 2030 एजेंडा और दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन के पूर्ण कार्यान्वयन में तेजी लाने में इंचियोन कार्यनीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कार्य योजना शामिल है और हम इंचियोन कार्यनीति के सभी लक्ष्यों के कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए स्वयं को फिर से प्रतिबद्ध करते हैं।

16. हम इंचियोन कार्यनीति और बीजिंग घोषणा के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक, 2023-2032 की घोषणा करते हैं, जिसमें इंचियोन कार्यनीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कार्य योजना, कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतिक निवेश करने और सभी प्रासंगिक हितधारकों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के और उनके लिए स्थापित संगठनों तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं के सहयोग से संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांगता-समावेशी विकास की दिशा में उपाय करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता पर बल देना शामिल है ताकि दिव्यांगजनों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कार्रवाई में निम्नानुसार तेजी लाया जा सके:

(क) यथा उपयुक्त राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों की व्यापक और नियमित समीक्षा करके, सभी स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों और सरकारों द्वारा कन्वेंशन के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन प्रदान करके, विधि प्रवर्तन में शामिल सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करके, राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और बजट में उचित आवास के प्रावधान को एकीकृत

करके और कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और मॉनीटरिंग करने के लिए, यथा उपयुक्त रूपरेखा को विकसित और मजबूत करके एक बार कन्वेंशन की पुष्टि हो जाने या स्वीकार करने के बाद दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन के साथ राष्ट्रीय विधानों को सुसंगत बनाना;

(ख) सभी उम्र के विविध दिव्यांगताओं से ग्रस्त महिलाओं और पुरुषों की सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देना, जिसमें दिव्यांग बच्चों और युवाओं को उनके प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से ध्यानपूर्वक परामर्श देना और सक्रिय रूप से उन्हें शामिल करना, उचित आवास के माध्यम से नीतियों, कार्यक्रमों और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में योजना बनाना, लागू करना और निर्णय लेना, दिव्यांगजनों और उनके प्रतिनिधि संगठनों यथा उपयुक्त, और सभी स्तरों की सरकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों में जागरूकता सृजन और क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है;

(ग) विविध दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों और महिलाओं, बच्चों और वृद्ध दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के संदर्भ में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन, सूचना और संचार की पहुंच में सुधार करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में, आपदा जोखिमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपातकालीन स्थितियों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी तथा सेवाएं और नवीनतम अंतरराष्ट्रीय सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों को विकसित करके सार्वभौमिक रूप से डिजाइन किए गए वस्तुओं, सेवाओं, उपकरणों और सुविधाओं को बढ़ावा देना;

(घ) दिव्यांगता-समावेशी सार्वजनिक खरीद नीति को अपनाने के माध्यम से दिव्यांगता-समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के संसाधनों, प्रौद्योगिकीय नवाचारों तथा प्रतिभाओं सहित उनकी शक्तियों को प्रेरित करना ताकि कार्यबलों, संगठनों, उत्पादों, सेवाओं, बाजार गतिविधियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में दिव्यांगता समावेशन को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्रवाई करने के लिए निजी कम्पनियों हेतु नीति प्रोत्साहन असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्राप्त अवसंरचना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के लिए सार्वभौमिक डिजाइन और सुगम्यता उपायों के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके और उद्योग दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल विशेष रूप से मीडिया में, जिसमें सोशल मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र शामिल हैं, के विकास की सुविधा प्रदान करके, विविधता और समावेश को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसी सामग्री को हटाया जा सके जो दिव्यांगजनों की भेदभाव, कलंक, रूढ़िवादिता और गलत धारणाओं को जन्म दे सकती है;

(ङ) दिव्यांगता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए एक लिंग-उत्तरदायी जीवन चक्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देते हुए: (i) छोटे बच्चों, किशोरों, महिलाओं और वृद्ध दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए मुख्यधारा और दिव्यांगता-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं दोनों का विस्तार करना; (ii) मानव पूंजी के निर्माण के उद्देश्य से कार्यनीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों और निवेशों के एक अभिन्न अंग के रूप में दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन में पहचान करना और हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करना; (iii) सभी दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सतत् और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना; और (iv) भेदभाव और बाधाओं का प्रतिक्रिया देना, जो वृद्ध दिव्यांग महिलाओं सहित दिव्यांग महिलाओं और

लड़कियों को अक्सर भाग लेने तथा यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं सहित सूचना और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के मामले में सामना करना पड़ता है;

(च) प्राधिकृत राष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य मान्यता प्राप्त स्त्रोतों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर दिव्यांगता-समावेशी नीति निर्माण, कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन कार्यनीतियों को सूचित करने के लिए क्षेत्रभर में लिंग, आयु और दिव्यांगता पर विघटित तुलनीय और गुणवत्ता डेटा प्रस्तुत करके और 2030 एजेंडा की रूपरेखा और अन्य वैश्विक एवं क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा में संचालित, यथा उपयुक्त की गई प्रगति पर रिपोर्ट शामिल करके स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाओं में दिव्यांगता-समावेशी विकास प्राप्त करने में दिव्यांगता डाटा-अंतराल को पूरा करने के लिए कार्रवाई करना, और राष्ट्रीय एवं उप राष्ट्रीय स्तरों पर दिव्यांगता-समावेशी विकास में प्रगति का पता लगाने की क्षमताओं को मजबूत बनाना।

17. इसलिए हम कार्यकारी सचिव से अनुरोध करते हैं कि सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से तथा एशिया और प्रशांत तथा इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र देश की टीमों के लिए, जैसा उपयुक्त हो, क्षेत्रीय सहयोगी मंच का लाभ उठाते हुए सदस्य राज्यों और दिव्यांगजनों के साथ निकट सहयोग से निम्नलिखित उपाय करें:

(क) इंचियोन कार्यनीति और बीजिंग घोषणा के कार्यान्वयन को जारी रखने को प्राथमिकता देने के लिए, जिसमें इंचियोन कार्यनीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कार्य योजना शामिल है, और दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक 2023–2032; के दौरान एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 2030 एजेंडा के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिव्यांगता समावेशन को मजबूत करना;

(ख) क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान घोषणा के कार्यान्वयन के लिए, उनके अनुरोध पर, आयोग के सदस्यों और सहयोगी सदस्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना;

(ग) आयोग के सदस्यों और सहयोगी सदस्यों को उनके अनुरोध पर, सतत् विकास लक्ष्यों की रूपरेखा में संचालित स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाओं में दिव्यांगता परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने में सहायता करना जिसमें राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान दिव्यांगजनों और उनके प्रतिनिधि संगठनों को शामिल करने के लिए एक तंत्र बनाना शामिल है;

(घ) वर्तमान घोषणा के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने, इंचियोन कार्यनीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति करने तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 2030 एजेंडा की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए यथा उपयुक्त, दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक पर कार्य करने वाले समूह के मार्गदर्शन का उपयोग करना जारी रखना;

(ड.) दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक, 2023-2032 के दौरान वर्तमान घोषणा को लागू करने में आयोग के सदस्यों और सहयोगी सदस्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने के लिए 2027 में एक मध्यबिंदु समीक्षा और 2032 में एक अंतिम अंतर-सरकारी समीक्षा आयोजित करना;

(च) आयोग को उसके विचार और पुष्टि के लिए उसके उनहत्तरवें सत्र में वर्तमान घोषणा प्रस्तुत करना।